



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 774]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 2012/वैशाख 7, 1934

No. 774]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 2012/VAISAKHA 7, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2012

का.आ. 929(अ).—पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 12 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर पौधा किस्म रजिस्ट्री के शाखा कार्यालय स्थापित करती है और उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त शाखा कार्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं परिभाषित करती हैं।

सारणी

क्रम सं.	शाखा कार्यालय का स्थान	क्षेत्रीय सीमाएं
(1)	(2)	(3)
1.	रांची (शाखा कार्यालय)	झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
2.	गुवाहाटी (शाखा कार्यालय)	असम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश राज्य।

[फा. सं. 1-6/20011-एसडी-V]

एस. के. जी. राहटे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2012

S.O. 929(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with sub-section (6) of Section 12 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority hereby establishes branch offices of the Plant Varieties Registry at the places specified in column (2) of the Table below and defines the territorial limits of the said branch offices as specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Place of the branch office	Territorial limits
(1)	(2)	(3)
1.	Ranchi (Branch office)	The States of Jharkhand, Bihar, West Bengal, Chattisgarh Orissa and Andaman and Nicobar Islands.
2.	Guwahati (Branch office)	The States of Assam, Sikkim, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland Tripura and Arunachal Pradesh.

[F. No. 1-6/2011-SD-V]

S. K. G. RAHATE, Jt. Secy.